>

Title: Need to remove sports as a subject from the B. Ed. syllabus in Universities in Uttar Pradesh.

राजकुमारी रत्ना सिंह (प्रतापगढ़): नियम 377 के माध्यम से सदन को सूचित करना चाहती हूं कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन एनसीटीई जो अध्यापक प्रशिक्षण क्षेत्र में काम करती है, ने गत वर्ष बीएड परीक्षा के पाठ्यक्रम में स्पोर्टस को एक गाइड लाइन्स के तहत शामिल किया है जबकि पूरे उत्तर प्रदेश में किसी विश्वविद्यालय में स्पोर्टस का पाठ्यक्रम नहीं है। इस गाइड लाइन्स को शामिल करने से पहले तो इस संस्था को उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय से यह पता लगाना चाहिए कि ये विषय इन विश्वविद्यालय में पढ़ाए जा रहे हैं या नहीं। इस संबंध में मैं मानव संसाधन विकास मंत्री जी से कई बार मिली और इस हेतु जानकारी दी है परंतु इस संबंध में आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इससे उत्तर प्रदेश के रायबरेली, सुल्तानपुर, छत्रपति साहू जी नगर एवं प्रतापगढ़ के छात्रों को बीएड में प्रवेश गत दो सालों से नहीं मिल पा रहा है जिसके कारण इन क्षेत्रों के छात्रों में केन्द्र सरकार के प्रति आक्रोश है क्योंकि इस गाइड लाइन्स के तहत इन क्षेत्रों के छात्रों को बीएड में प्रवेश नहीं मिल पा रहा है।

सरकार से अनुरोध है कि बीएड के इस पाठ्यक्रम में कुछ वर्षों के लिए स्पोर्टस के पाठ्यक्रम को हटाया जाए और उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय में स्पोर्टस के पाठ्यक्रम को रखा जाए और जब इस पाठ्यक्रम से छात्र पास होकर निकले तब एनसीटीई द्वारा बीएड के पाठ्यक्रम में स्पोर्टस का विषय रखा जाए।